प्रारूप – 5

ऑनलाइन

कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ।

पत्र संख्या - य-475/05(1081 ओ)/24 दिनांक -

प्रेषक

अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय / जनसूचना अधिकारी
कमिश्नरेट लखनऊ

सेवा में,

श्री योगी एमपी सिंह
नि0 – मोहल्ला सुरेकापुरम जबलपुर रोड संगमोहाल

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित क्रमांक - 1081 ओ/24 पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक - 20.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप द्वारा मांगी गयी सूचना सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज लखनऊ से प्राप्त की गयी, जो मूलरूप मे संलग्न कर प्रेषित है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। जिनका पता निम्नवत है -

प्रथम अपीलीय अधिकारी/
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय
कार्यालय पुलिस आयुक्त, महानगर
कमिश्नरेट लखनऊ।

कुल वर्क।

जनसूचना अधिकारी /
अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय
कमिश्नरेट लखनऊ

उपायुक्त,
जनसूचना अधिकारी,
म0—लखनऊ

कृपया आपके पत्रांक: व—475/05/1081ओ/2024 दिनांक 21.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे आवेदक श्री योगी एमपी सिंह निवासी सुरेखापुरम जबलपुर रोड संगमोहाल पोस्ट आफिस उ0प्र0 द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम—2005 के माध्यम से मांगी जा रही जनसूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आवेदक उपरोक्त द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज से प्राप्त आख्या मूल रूप से संलग्न सहित अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्नक:यथोपरि
पत्रांक:एसटी/एसीपी(एच)—ज0सू0/2024
दिनांक: दिसम्बर, ,2024

सहायक पुलिस आयुक्त,
हजरतगंज, लखनऊ

रिपोर्ट कोतवाली हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ

सेवा मे,

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय

हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ

विषय-पत्र संख्या व-475/2005/(1081ओ)/2024 दिनांकित-21.11.24 के अनुपालन मे आवेदक योगी एम0पी0सिंह निवासी सुरेखापुरम जवलपुर रोड संगमोहाल पोस्ट आफिस उ0प्र0 द्वारा मागी गयी जनसूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध मे।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि पत्र संख्या व-475/2005/(1081ओ)/2024 दिनांकित-21.11.24 अनुपालन मे आवेदक योगी एम0पी0सिंह निवासी सुरेखापुरम जवलपुर रोड संगमोहाल पोस्ट आफिस उ0प्र0 द्वारा मागी गयी जनसूचना प्रार्थना पत्र के छात्रावृति घोटले से सम्बन्धित एफ0आई0आर0 नम्बर न होने कारण मांग गयी जनसूचना देना सम्भव नही हो पा रही है।

प्रभारी निरीक्षक

कोतवाली हजरतगंज

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

कोतवाली हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

आई.जी.आर.एस. संदर्भ संख्या (बोल्ड एवं बड़े अक्षरों में)		**40015723033852**
आख्या की दिनांक		01.06.2023
शिकायत कर्ता का विवरण	नाम	Yogi M. P. Singh
	मो0नं0.	7379105911
क्या शिकायतकर्ता से वार्ता की गयी ?(हाँ अथवा नही)		हाँ
क्या शिकायतकर्ता जाँच आख्या से संतुष्ट है ?(हाँ अथवा नही)		
क्या शिकायत का भौतिक सत्यापन किया गया ?(हाँ अथवा नही)		
जाँच अधिकारी का विवरण	पद	नि0
	नाम	प्रमोद कुमार पाण्डेय
	मो0नं0	7007436022

अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की बिन्दुवार आख्या (अधिकतम 10 लाइन)

महोदय,

उक्त आईजीआरएस के जांच के क्रम में निवेदन है कि आवेदक द्वारा दिनांक 30.03.2023 को थाना हजरतगंज पर पंजीकत कराये गये मु0अ0सं0 119/2023 धारा 120बी/409/420/467 भादवि0 की विवेचना निरीक्षक श्री प्रमोद पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही थी । किन्तु मुकदमा उपरोक्त की विवेचना अपराध शाखा लखनऊ स्थान्तरित हो चुकी है वर्तमान में उक्त अभियोग की विवेचना अपराध शाखा द्वारा सम्पादित की जा रही है एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है । सुसंगत साक्ष्य संकलन के आधार पर शीघ्र ही विवेचना का विधिक निस्तारण कराया जायेगा। विवेचना प्रचलित है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

(प्रमोद कुमार पाण्डेय)
नि0 3
कोतवालीहजरतगंज

जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

कागजों पर हजारों दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा हुई तो एक भी नहीं मिला

करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए डमी विद्यार्थियों को दिए दाखिले

सूरज शुक्ला

बोर्ड परीक्षा के आंकड़ों से खुला 2015 से खेला जा रहा खेल

लखनऊ। छात्रवृत्ति घोटाले में हाईस्कूल व इंटर के दिव्यांग छात्रों के नाम पर भी बड़ी रकम कॉलेजों ने वर्षों तक डकारी। इसके लिए कागजों पर हजारों फर्जी दाखिले किए और करोड़ों हड़पे। पर जब बोर्ड परीक्षाओं का वक्त आया तो इन कॉलेजों का एक भी दिव्यांग छात्र (जिनके नाम पर छात्रवृत्ति ली गई) परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। इन आंकड़ों से घोटाले का खुलासा हुआ। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित दस्तावेज को साक्ष्य के तौर पर एसआईटी ने जांच में शामिल किया है। इस खेल में हरदोई के तीन कॉलेजों की अहम भूमिका रही।

ईडी की जांच के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने गत 30 मार्च को घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी। अब तक की जांच में घोटाले की राशि करीब दो सौ करोड़ रुपये पहुंच चुकी है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। एफआईआर में हरदोई के तीन कॉलेज आरपीपी इंटर कॉलेज, ज्ञानवती इंटर कॉलेज व जगदीश वर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नामजद हैं।

तफ्तीश में सामने आया कि इन संस्थानों में हाईस्कूल व इंटर में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के नाम पर बाकायदा फार्म भरे गए। ऑनलाइन आवेदन कर छात्रवृत्ति ली गई। पर परीक्षा में एक भी छात्र सामने नहीं आया। डमी विद्यार्थी के तौर पर पूरा खेल खेला गया। प्रति छात्र करीब 40 हजार रुपये छात्रवृत्ति जारी की गई। ये खेल 2015 से 2022 तक किया गया।

खुद स्वीकारा एक भी दिव्यांग छात्र नहीं

शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक कॉलेज से जानकारी मांगी जाती है कि उनके यहां कितने दिव्यांग बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक जिन तीन कॉलेजों ने पिछले छह साल में हजारों दिव्यांग विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति ली, उन्होंने खुद जवाब लिखकर भेजा कि उनके यहां कोई भी दिव्यांग नहीं है।

एक-एक सत्र में दो-दो सौ डमी दिव्यांग

सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने इन तीनों कॉलेजों का छात्रवृत्ति संबंधी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। इन कॉलेजों के एक-एक सत्र में 175-200 डमी दिव्यांग विद्यार्थियों के दाखिले दिखाए गए। अफसर भी आंकड़े देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर किसी सामान्य स्कूल-कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की नहीं होती है। अफसरों का कहना है कि अगर ऐसा था तो छात्रवृत्ति देने वाले विभाग को भी यह खेल पहले ही पकड़ लेना चाहिए था।

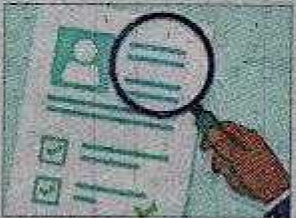

छात्रवृत्ति के लिए भी अब ई-केवाईसी

लखनऊ। छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई योजना में इस सत्र से ई-केवाईसी की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में आधार नंबर डालते ही विद्यार्थी का नाम, पता, उम्र, लिंग व बैंक खाता नंबर के कॉलम खुद ही भर जाएंगे। योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस सत्र से अनेक बदलाव किए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ई-केवाईसी लागू होने के कारण छात्रों को समय रहते यह देख लेना चाहिए कि हाईस्कूल के अंकपत्र व आधार कार्ड में दिए नाम एक ही हों। यदि अंतर है तो आधार कार्ड में नाम को हाईस्कूल के अंकपत्र के अनुसार संशोधन करा लें। इसी तरह से आधार से जो बैंक खाता लिंक होगा, ऑनलाइन आवेदन में वही प्रदर्शित होने लगेगा। अगर एक ही छात्र के कई खाते आधार से लिंक होंगे तो सबसे बाद में लिंक किए गए खाते को सॉफ्टवेयर अपलोड करेगा। जिन छात्राओं की शादी हो गई है, उन्हें भी आधार में सरनेम अपडेट करा लेने का सुझाव दिया गया है। शादी के बाद पिता का नहीं, बल्कि पति का आय प्रमाणपत्र लगाना होगा। ब्यूरो

छात्रवृत्ति के लिए अब ई-केवाईसी

लखनऊ। छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना में इस सत्र से ई-केवाईसी की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में आधार नंबर

आधार नंबर डालते ही सॉफ्टवेयर भरेगा नाम व खाता संख्या

डालते ही विद्यार्थी का नाम, पता, उम्र, लिंग और खाता संख्या के कॉलम खुद ही भर जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत हाईस्कूल के अंकपत्र और आधार में दिए नाम में अंतर होने पर योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है।

राज्य सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों की ढाई लाख रुपये तक और अन्य वर्गों के लिए दो लाख रुपये तक सालाना आय होने पर इस योजना का लाभ देती है। योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस सत्र से अनेक बदलाव किए जा रहे हैं। छात्रों को समय रहते यह देख लेना चाहिए कि हाईस्कूल के अंकपत्र व आधार कार्ड में दिए नाम एक ही हों। अगर अंतर है, तो आधार में दिए नाम में हाईस्कूल के अंकपत्र के अनुसार संशोधन करा लें। इसी तरह, आधार से जो बैंक खाता लिंक होगा, ऑनलाइन आवेदन में वही खाता संख्या प्रदर्शित होगी। संवाद